पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 396
दिनांक-11.02.2025

जोन-दक्षिणी/ थाना-मोहनलालगंज

- **स्मार्ट पुलिसिंग के तहत नाबालिक गुमशुदा लड़की को किया गया सकुशल बरामद।**

01-सक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05/02/2025 को शिकायतकर्ता नि0 हरिकंशगढ़ी थाना मोहनलालगंज लखनऊ द्वारा सूचना दिया गया कि मेरी बेटी उम्र 17 वर्ष दिनांक 04-02-2025 समय करीब शाम 06.00 बजे घर से कहीं चली गयी है, हमने बहुत ढूंढा लेकिन मेरी बेटी का कहीं पता नही चला। इस सूचना पर थाना मोहनलालगंज में मु0अ0स0 0034/25 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

गुमशुदा लड़की की तलाश हेतु थाना स्थानीय पर पुलिस टीम का गठन किया गया था। पुलिस टीम द्वारा काफी सीसीटीवी फुटेज देखे गये किन्तु सीसीटीवी से कोई उल्लेखनीय तथ्य नहीं पाया गया। पुलिस टीम द्वारा करीब 50 होटल व अन्य घूमने फिरने वाले स्थानो पर तलाश की गयी । गुमशुदा के घर से निकलते समय उसके पास कोई मोबाइल फोन नहीं था जिस कारण पुलिस को गुमशुदा की बरामदगी में थोड़ी कठिनाई उत्पन्न हुई ।

गहनता से जानकारी करने पर पाया गया कि गुमशुदा लड़की अपनी माँ और मौसी के फोन से इंस्टाग्राम इस्तेमाल करती थी। जिसके पश्चात पुलिस टीम द्वारा इंस्टाग्राम आईडी बनाकर गुमशुदा को रिक्वेस्ट भेजी गयी जिसके कुछ समय बाद गुमशुदा द्वारा फ्रैंड रिक्वेस्ट ऐक्सेप्ट कर ली गयी जिससे यह तथ्य प्रकाश में आया कि गुमशुदा द्वारा वर्तमान में भी मोबाइल चलाया जा रहा है। गुमशुदा की इंस्टाग्राम के फ्रैंडलिस्ट में ऐड लोगो से पूछताछ व जानकारी की गयी तथा गुमशुदा से बात की गयी तथा आवश्यक विवरण प्राप्त कर लिया गया। मोहनलालगंज पुलिस द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग के तहत गुमशुदा को ट्रैस करके आज सकुशल बरामद किया गया।

गुमशुदा की सकुशल बरामदगी के पश्चात थाना मोहनलालगंज पर प्रभारी निरीक्षक श्री अमर सिंह द्वारा म0उ0नि0 के निगरानी में गुमशुदा की काउन्सलिंग की गयी तथा श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज श्री रजनीश वर्मा द्वारा भी पीड़िता की काउन्सलिंग की गयी जिसमें पीड़िता द्वारा बताया गया कि वह अपने घर वालों से नाराज होकर घर से चली गयी थी तथा रास्ते में दूसरा मोबाइल और सिम कार्ड खरीद ली थी।

02-गुमशुदा बरामद करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री संजय वर्मा
2. म0का0 प्रीती सिंह

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-390

दिनांक-11.02.2025

जोन-पश्चिमी/ थाना- माल

- **नाबालिक युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के आरोपी गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.02.2025 को वादी द्वारा उपस्थित थाना आकर बाबत वादी की बहन उम्र करीब 17 वर्ष को अज्ञात विपक्षी द्वारा बहला-फुसला कर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 40/25 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

जिसके क्रम में वादी की बहन व अभियुक्त की तलाश की गयी। तलाश-पतारसी में दिनांक 09.02.2025 को वादी की बहन की पतारसी की गयी व फोटो मिलान से उक्त लड़की की पतारसी-सुरागरसी माल-इंटौजा मार्ग ग्राम बाजारगाँव मोड़ पर हो गयी। वादी की बहन के बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 87/64(2)(ड) बीएनएस व 51/6 पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी तथा विपक्षी सुभाष कन्नौजिया पुत्र सुरेश कन्नौजिया नि0 ग्राम शेखनापुर थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ का नाम प्रकाश में आया।

प्रकाश में आये अभियुक्त की पतारसी-सुरागरसी में आज दिनांक 11.02.2024 को उ0नि0 प्रिन्स कुमार, उ0नि0 अमरपाल साहू मय हमराही के क्षेत्र में मामूर थे, जब ही मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त सुरेश कन्नौजिया उपरोक्त को देवरी भारत मोड़ से गिरफ्तार किया गया तथा विधिक कार्यवाही कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-सुभाष कन्नौजिया पुत्र सुरेश कन्नौजिया नि0 ग्राम शेखनापुर थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ उम्र 23 वर्ष

03-पंजीकृत/अनावरित अभियोग

01-मु0अ0सं0 40/2025 धारा 137(2)/87/62(2)(ड) बीएनएस व 5एल/6 पॉक्सो एक्ट

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः

1- उ0नि0 श्री प्रिन्स कुमार

2- उ0नि0 श्री अमरपाल साहू

3- मु0आ0 आदित्य कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-394

दिनांक 11.02.2025

जोन- उत्तरी/ थाना-गुडम्बा

- **वादिनी/पीड़िता को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 27.01.2025 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 27/2025 धारा 69/352 BNS बावत अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा से शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया गया था।

आज दिनांक 11.02.2025 को उ0नि0 श्री रामगोपाल यादव मय हमराही पुलिस बल के मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित एक नफर वांछित अभियुक्त अभिषेक सिंह पुत्र विनोद कुमार निवासी ग्राम खुर्दमऊ सिरौली गौसपुर थाना बदोसराय जिला बाराबंकी उम्र करीब 24 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर कुर्सी रोड बेहटा थाना क्षेत्र गुडम्बा लखनऊ से हिरासत पुलिस में लिया गया जिसके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का उद्देश्य:-

अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा से शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाया गया है तथा वादिनी मुकदमा द्वारा शादी का अनुरोध करने पर अभियुक्त द्वारा शादी से इंकार किया जाता है।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

01-अभिषेक सिंह पुत्र विनोद कुमार निवासी ग्राम खुर्दमऊ सिरौली गौसपुर थाना बदोसराय जिला बाराबंकी उम्र करीब 24 वर्ष

04-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना गुडम्बा:-

1. उ0नि0 श्री रामगोपाल यादव
2. उ0नि0 श्री जिलाजीत यादव
3. का0 रवि राणा
4. का0 विकल्प

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-393

दिनांक 11.02.2025

जोन- दक्षिणी/थाना-बन्थरा

- **हत्या की घटना कारित करने वाला हत्यारोपी को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.02.2025 को वादिनी श्रीमती कलावती पत्नी होरीलाल पता ग्राम हसनखेडा पोस्ट भटगांव थाना बन्थरा लखनऊ की थाने पर प्राप्त तहरीरी सूचना के मुताबिक शाम करीब 17.00 बजे वादिनी के पति होरीलाल अपने पौत्र उम्र 01 वर्ष को घर के बाहर खिला रहे थे तभी उनके पडोस मे रहने वाला व्यक्ति चन्द्रशेखर उर्फ बउवा पुत्र राजकिशोर रावत शराब पीकर वादिनी के घर पर आया और वादिनी के पति होरीलाल के साथ गाली गलौज करने लगा जिसे गाली देने से मना किया गया तो अभियुक्त चन्द्रशेखर ने होरीलाल के सिर पर बांस के मोटे डण्डे से हमला कर दिया जिससे उनका सिर फट गया और मौके पर ही गिर गए। परिजनों द्वारा होरीलाल को 108 एम्बूलेंस से CHC सरोजनीनगर ले जाया गया जहाँ उनकी मृत्यु हो गयी। उक्त प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बंथरा लखनऊ पर मु0अ0सं0 68/2025 धारा 103(1)/ 352 बी.एन.एस. पंजीकृत हुआ।

जिसके क्रम में थाना स्थानीय पर टीम गठित कर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु सर्च अभियान चलाया गया। जिसके क्रम मुखबिर खास की सूचना पर आज दिनांक 11.02.2025 को प्र0नि0 राम सिंह मय टीम द्वारा मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त चन्द्रशेखर उर्फ बउवा पुत्र राजकिशोर रावत निवासी हसनखेड़ा भटगाँव थाना बंथरा लखनऊ उम्र करीब 45 वर्ष को स्थान नगवा नाले के पास हरौनी रोड से गिरफ्तार कर लिया गया। गिर0शुदा अभियुक्त चन्द्रशेखर उर्फ बउवा उपरोक्त के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा मे जिला कारागार भेजा गया।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-चन्द्रशेखर उर्फ बउवा पुत्र राजकिशोर रावत निवासी हसनखेड़ा भटगाँव थाना बंथरा लखनऊ उम्र करीब 45 वर्ष। (व्यवसाय- मजदूरी)

पंजीकृत/अनावरित अभियोग-

01-मु0अ0सं0 68/2025 धारा 103(1) / 352 बी.एन.एस. थाना बन्थरा जनपद लखनऊ

03-अभियुक्त चन्द्रशेखर उर्फ बउवा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 185/2011 धारा 60 Ex. एक्ट थाना बन्थरा जनपद लखनऊ।
2. मु0अ0सं0 198/2011 धारा 60/63 Ex. एक्ट थाना बन्थरा जनपद लखनऊ।

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना बन्थरा पुलिस टीम, लखनऊ कमिश्नरेट

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01-मुनीर निषाद उर्फ मुनील निषाद पुत्र सीताराम नि0 ग्राम चकिया दुबे रामपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ हालपता गंगा विहार कालोनी थाना चिनहट लखनऊ उम्र करीब 28

02-शत्रुघन निषाद पुत्र राम निहोर निषाद ग्राम बनहर मेचक गजरी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष

04-पंजीकृत/अनावरित अभियोगः-

01-मु0अ0सं0 23/25 धारा 123/305(बी) बीएनएस थाना आलमबाग लखनऊ

05-अभियुक्त शत्रुघन निषाद उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1-मु0अ0सं0 415/22 धारा 363/366/376/506 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

नोटः- अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

06-बरामदगी-

04 अदद बण्डल सील सर्वमुहर-

एक बण्डल में ट्रालीबैग जिसमें 01 अदद सैमसंग मो0 मय चार्जर , 01 अदद घड़ी एचएमटी, 2,000/- रुपये नगद , 01 अदद सिगरेट की डिब्बी , 01 अदद काजू पैकेट, 01 अदद पिस्ता पैकेट व 01 अदद चाकलेट पैकेट ,

दूसरे बण्डल में पिट्ठू बैग जिसमें 02 अदद एटीएम कार्ड, 01 अदद पैन कार्ड, 01 अदद आधार कार्ड , 01 अदद मार्कसीट, 02 अदद प्रमाण पत्र, 01 अदद काजू पैकेट, 01 अदद चाकलेट पैकेट, 3,500/- रुपये नगद, 01 अदद पर्स जिसमें रखे 03 अदद रियाल के सिक्के व 350 रुपया नगद। ,

तीसरे बण्डल में एक अदद लैपटाप मय चार्जर , एक अदद हेडफोन , 02 अदद मो0 फोन , एक अदद पीली धातु चैन व एक अदद पीली धातु अंगूठी व

चौथे बण्डल में 01 अदद मो0फोन।

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 रामबहादुर थाना आलमबाग जनपद लखनऊ
2. उ0नि0 सुनील कुमार मोतला थाना आलमबाग जनपद लखनऊ
3. उ0नि0 पवन चौहान थाना आलमबाग जनपद लखनऊ
4. हे0का0 रईस खान थाना आलमबाग जनपद लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-392

दिनांक-11.02.2025

जोन-पूर्वी/ थाना- आलमबाग

- **राहगीरों को खाने पीने की चीज में नशीली दवा (जहरखुरानी) मिलाकर सामान चोरी करने वाले 02 शातिर जहरखुरानों / अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार**
- **जहरखुरानी कर चोरी किया गया सामान बरामद**

01-संक्षिप्त विवरण-

वादी मो0 कौसेन पुत्र मो0 याहिया ग्राम कमालपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ रोजी रोटी हेतु सऊदी अरब (दम्माम) में रहता है वादी दिनांक 04.02.2025 को चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ पर सुबह लगभग 06.00 बजे दम्माम से वापस आया वहां से बस पकड़ने के लिए आलमबाग बस स्टैण्ड गया वहां पर दो अन्जान व्यक्तियों से वादी को मिले तथा बोले कि आपको कहां जाना है, वादी ने कहा कि मुझे सरायमीर नन्दव मोड़ जनपद आजमगढ़ जाना है तो वो लोग बोले कि हमें भी सरायमीर तक जाना है, जिनकी उम्र करीब 25 वर्ष से 30 वर्ष के मध्य की थी।

वादी उन दोनों के बहकावे में आ गया तथा उनसे बात- चीत करने लगा और तभी तीनों लोग बलिया डिपो पर यात्रा के लिए बैठ गये तथा यात्रा के दौरान अवध बस स्टाप लखनऊ पर बस रुकी तो उसी में से एक व्यक्ति द्वारा दो चाय लाई गयी । वादी के मना करने पर भी उसने कहा चाय पियों मै भी पी रहा हूँ। वादी के चाय पीने के लगभग 15 मिनट बाद चक्कर आने लगा तथा वादी अपना होश खो दिया उन दोनों अज्ञात व्यक्तियों द्वारा प्रार्थी की दो ट्राली बैग, एक हैण्ड बैग जिसमें तीन हजार रियाल (लगभग 66 हजार भारतीय रुपये) व 02 अदद मोबाइल फोन थे जो ले लिया गया तथा वादी को जब होश आया तो लगभग रात्रि नौ बजे अपने को अर्धचेत अवस्था में नन्दव मोड़ थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ के पास पाया। जिसके संबंध में वादी द्वारा दिनांक 09.02.2025 को थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर देकर मु0अ0सं0 023/2025 धारा 123/305(बी) बीएनएस थाना आलमबाग लखनऊ पंजीकृत कराया गया था।

जिसकी विवेचना के दौरान सीसीटीवी फुटेज व अन्य साक्ष्य संकलन से प्रकाश में आये अभियुक्तों को मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्तों 01-मुनीर निषाद उर्फ मुनील निषाद पुत्र सीताराम नि0 ग्राम चकिया दुबे रामपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ हालपता गंगा विहार कालोनी थाना चिनहट लखनऊ उम्र करीब 28 02- शत्रुघन निषाद पुत्र राम निहोर निषाद ग्राम बनहर मेचक गजरी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को दिनांक CNW रोड पर टुनटुनिया फाटक के पास से जहखुरानी करके चोरी किये गये सामान के साथ दिनांक 11.02.2025 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का तरीका-

अभियुक्तो मुनील निषाद व शुत्रुघ्न निषाद उपरोक्त द्वारा बस अड्डा व स्टेशन पर रैकी करके राहगीरों को खाने पीने की चीज में नशीली दवा (जहरखुरानी) मिलाकर सामान चोरी करने जैसा अपराध कारित करना।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-391

दिनांक-11.02.2025

जोन-पूर्वी/ थाना- आशियाना

- **लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर वादी की भतीजी को टक्कर मार देना (जिसकी दौराने इलाज मृत्यु हो जाने) का आरोपी गिरफ्तार।**
- **बिना वैध लाइसेंस के चला रहा था वाहन**

01-संक्षिप्त विवरण-

वादी मुकदमा के द्वारा दिये गये प्रा0 पत्र जिसमें अभियुक्त के द्वारा लापरवाहीपूर्वक वाहन (छोटा डाला) चलाते हुये वादी की नाबालिग भतीजी उम्र 13 वर्ष को टक्कर मार कर कुचल देने एवं दौराने इलाज पीड़िता की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में थाना आशियाना लखनऊ दिया गया जिसके आधार पर दिनांक 09.02.2025 को मु0अ0सं0 0039/2025 धारा 281/125(b)/106 बीएनएस बनाम 01-राहुल दुबे पुत्र अनिल दुबे 02- राहुल दुबे पुत्र भगवानदीन के विरूद्ध पंजीकृत किया गया ।

मुकदमा उपरोक्त की विवेचना के क्रम में थाना आशियाना पुलिस के द्वारा मजरूबा का इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के कारण एवं अन्य साक्ष्य संकलन के आधर पर धारा 146/196 मोटरयान अधि0 1988 की बढोत्तरी एवं धारा 106 बीएनएस को धारा 105 बीएनएस (आपराधिक मानव वध) में तरमीम किया गया तथा नामजद आरोपी राहुल दुबे पुत्र भगवानदीन की अपराध में संलिप्तता नहीं पायी गयी। जिस कारण राहुल दुबे पुत्र भगवानदी उपरोक्त की नामजदगी हटा दी गयी।

अभियोग उपरोक्त के सम्बन्ध थाना स्थानीय पर पुलिस टीम बनाकर उ0नि0 गणेश सिंह मय हमराह हे0कां0 सत्यभान सिंह के द्वारा राहुल दुबे पुत्र भगवानदीन की निशांदेही के आधार पर अभियुक्त राहुल दुबे पुत्र अनिल दुबे निवासी हाल पता सुजानपुरा थाना आलमबाग लखनऊ मूल निवासी ग्राम हरिपुर कला थाना रायवाला जिला देहरादून उम्र करीब 22 वर्ष उपरोक्त को पकड़कर नाम पता तस्दीक कर पूछताछ के क्रम में अभियुक्त/वाहन चालक उपरोक्त के पास वाहन चलाने का वैध लाइसेंस न पाये जाने के कारण उसको उसके जुर्म अन्तर्गत धारा 281/125(B)/105 बीएनएस व 146/196 मोटरयान अधिनियम से अवगत कराते हुये दिनांक 10.02.2025 को समय 23.50 बजे हिरासत पुलिस लिया गया है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-राहुल दुबे पुत्र अनिल दुबे निवासी हाल पता सुजानपुरा थाना आलमबाग लखनऊ मूल निवासी ग्राम हरिपुर कला थाना रायवाला जिला देहरादून उम्र करीब 22 वर्ष

03-पंजीकृत/अनावरित अभियोग-

01-मु0अ0सं0- 0039/2025 धारा 281/125(B)/105 बीएनएस व 146/196 मोटरयान अधिनियम थाना आशियाना लखनऊ ।

06-गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का नाम व पता-

01-उ0नि0 गणेश सिंह थाना आशियाना लखनऊ।

02-हे0का0 सत्यभान सिंह थाना आशियाना लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-395

दिनांक 11.02.2025

जोन- दक्षिणी/थाना-नगराम

- **दहेज की मांग को लेकर वादी की भतीजी से मारपीट व प्रताड़ित करने एवं आत्महत्या का दुष्प्रेरण करने वाले अभियुक्त/अभियुक्ता (ससुरलीजनों) को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 10.02.205 को ग्राम गुमानीखेड़ा थाना नगराम जनपद लखनऊ में मृतिका किरन उम्र करीब 21 वर्ष पत्नी सन्दीप कुमार निवासिनी ससुराल पता ग्राम गुमानीखेडा थाना नगराम लखनऊ को मृतका के पति 01.सन्दीप कुमार पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम गुमानीखेड़ा थाना नगराम लखनऊ व अन्य ससुराली जनों द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर आये दिन मार-पीट कर प्रताड़ित करना जिससे किरन उपरोक्त द्वारा आत्म हत्या कर लेने के संबन्ध में मृतका के चाचा/वादी मुकदमा सन्तोष कुमार पुत्र स्व0 रामदयाल निवासी ग्राम बंधवाखेड़ा मजरा खैरा कनकू थाना लोनी कटरा जनपद बाराबंकी द्वारा लिखित सूचना देकर थाना स्थानीय पर दिनांक-10.02.2025 को मु0अ0सं0 34/25 धारा 85/80 B.N.S. व ¾ डीपी एक्ट बनाम- सन्दीप कुमार पुत्र बाबूलाल निवासी उपरोक्त आदि 03 नफर अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था।

सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज द्वारा निर्गत हुकुम तहरीरी के अनुपालन में थानाध्यक्ष नगराम के निर्देशन में गठित पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्तगणो 01.सन्दीप कुमार पुत्र बाबूलाल 02. बाबूलाल पुत्र श्रीपाल 03.श्रीमती सरोज पत्नी बाबूलाल निवासी गण ग्राम गुमानीखेड़ा थाना नगराम लखनऊ को मुखबिर खास की सूचना पर आज दिनांक-11.02.2025 को ग्राम गुमानेखेड़ा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक हिरासत भेजा गया।

02-गिरफ्तार अभियुक्तगणों का विवरण-

सन्दीप कुमार पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम गुमानीखेड़ा थाना नगराम लखनऊ उम्र करीब 24 वर्ष।

2. बाबूलाल पुत्र स्व0 श्रीपाल निवासी ग्राम गुमानीखेड़ा थाना नगराम लखनऊ उम्र करीब 50 वर्ष।

2. श्रीमती सरोज पत्नी बाबूलाल निवासी ग्राम गुमानीखेड़ा थाना नगराम लखनऊ उम्र करीब 55 वर्ष।

03-पंजीकृत/अनावरित अभियोगः-

1. मु0अ0सं0- 34/25 धारा 85/80 B.N.S. व ¾ डीपी एक्ट थाना नगराम लखनऊ।

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

01.उ0नि0 प्रवेन्द्र कुमार

02. म0उ0नि0 अल्पा देवी

03. हे0का0 जानमोहम्मद

04. का0 दिनेश कुमार